

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, न्यायालय परिसर, टोंक (राज.)
Phone No.:-01432-294603, E-mail:legalaidtonk@gmail.com

क्रमांक : प. ()/स्था./जिविसेप्रा./विज्ञप्ति/2024-25/5017

दिनांक : 01/08/24

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक 8818 दिनांक 29.07.2024 द्वारा स्वीकृति के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के अधीनस्थ लीगल एड डिफेंस काउंसिल (LADC), टोंक कार्यालय हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएँ समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं -

क्र.सं.	पद	पदों की संख्या	देय मानदेय/पारिश्रमिक (रु.)
1	ऑफिस असिस्टेंट	3	14,000 /-
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	14,000 /-
3	ऑफिस पिओन	3	11,000 /-

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह भर्ती पूर्णतया अस्थाई रूप से अनुबंध के आधार पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम (LADCS), 2022 के अनुसार की जा रही है।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 07.08.2024 को कार्यालय समय सायं 5:00 बजे तक जरिये ई-मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टोंक (राज.)

क्रमांक : प. ()/स्था./जिविसेप्रा./विज्ञप्ति/2024-25/5018-28

दिनांक : 01/08/24

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
- श्रीमान् जिला कलेक्टर, टोंक को समस्त राजकीय विभागों में प्रेषित करने बाबत्।
- अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति
- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, टोंक को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु
- जिला नियोजन अधिकारी, टोंक
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, टोंक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टोंक (राज.)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

(राज्य सरकार से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की समेकित पारिश्रमिक पर संविदा सेवाएं लेने बाबत)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्मतिथि –
4. आयु – वर्ष माह दिन
5. पता मय मोबाईल नम्बर –
-पिन
6. अर्हताएं –
7. मूल विभाग का नाम –
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद –
9. अनुभव –
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
(एल.पी.सी. संलग्न करें)
11. मूल पेंशन राशि
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें)
12. धारित पद का वेतन मान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा
आवेदन किया जा रहा है

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरकर्ता राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का ईच्छुक है। अधोहस्ताक्षरकर्ता संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 14 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व के पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रूपये अक्षरे मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील